राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–1202/2015..... जिला .....अलवर.....

उनवान : मैसर्स जे एम इब्ल्यू इण्डिया प्रा0लि0, भिवाडी, अलवर बनाम (1) अपीलीय प्राधिकारी वाणिज्यिक कर अलवर (2) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–द्वितीय, करापवंचन, भिवाडी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03/08/2015	खण्डपीठ श्री बी. के. मीणा, अध्यक्ष श्री ईश्वरी लाल वर्मा, सदस्य अपीलार्थी द्वारा हस्तगत अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या क्रमांक अपी.प्राधि./अल./स्थगन/2015 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) सपठित धारा 42(4) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 31.07.2015 के विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं। स्थगन प्रार्थना–पत्रों पर अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री अलकेश शर्मा ने कर निर्धारण आदेश एवं अपीलीय आदेश का विरोध करते हुए स्थगन प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अपने कथन के समर्थन में श्री शर्मा द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये :– 1. (2011) 41 वीएसटी 25(राज.) 2. (2011) 41 वीएसटी 495(राज.) 3. 35 टैक्स अपडेट 49 4. 35 टैक्स अपडेट 249 5. 36 टैक्स अपडेट 78 6. 36 टैक्स अपडेट 37 विभागीय प्रतिनिधि विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री आर के अजमेरा ने कर निर्धारण आदेश एवं अपीलीय आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने पर बल दिया। उभयपक्ष की बहस सुनने, कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों तथा अपील व स्थगन आधारों पर विचार किये जाने के उपरान्त, **प्रकरणों के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना**, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना–पत्र को स्वीकार करते हुए मांग राशि की वसूली पर इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के 3 माह में उनके समक्ष लम्बित अपील का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें। निर्णय सुनाया गया। 3.8.2015 सदस्य अध्यक्ष	